

प्रदेश के 7.50 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 15 अक्टूबर के बाद हो सकती है आधिकारिक घोषणा

दीपावली पर मिलेगा 2 प्रतिशत डीए; कर्मचारियों को हर माह 600 से 1000 रुपए और अफसरों को 1400 से 3500 रुपए का फायदा

पॉलिटिकल रिपोर्टर | भोपाल

त्योहारी सीजन में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने की तैयारी है। राज्य सरकार दिवाली के मौके पर महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करेगी। इस संबंध में राज्य सरकार अक्टूबर के मध्य यानी 15 अक्टूबर के आसपास आधिकारिक घोषणा कर सकती है, ताकि नवंबर में दिवाली के दौरान बड़े हुए डीए का भुगतान किया जा सके। प्रदेश में कर्मचारियों को अभी 58 प्रतिशत डीए देय है, 2 प्रतिशत की प्रस्तावित बढ़ोतरी के बाद यह 60 फीसदी हो जाएगा। प्रदेश के कर्मचारियों का इस साल 1 जनवरी से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता

ड्यू (लंबित) चल रहा है। इस संबंध में कर्मचारियों की ओर से लगातार मांग उठाई जा रही थी। अब सरकार ने बड़े हुए डीए के भुगतान की तैयारी पूरी कर ली है, जिसकी मुख्यमंत्री जल्द ही घोषणा कर सकते हैं। सरकार के इस कदम से राज्य के लाखों कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिलेगा। वित्त विभाग के द्वारा 7.50 लाख कर्मचारियों को 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने पर आने वाले खर्च का हिसाब कर लिया है। इससे हर महीने सरकार पर प्रति माह 82 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इसके साथ ही एरियर का भुगतान करने जनवरी से अक्टूबर 10 महीने का खर्च 820 करोड़ रुपए देना होगा, जिसका वित्तीय प्रावधान किया जाएगा।

वेतन के हिसाब से जानिए कितना होगा फायदा

महंगाई भत्ता हमेशा कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर तय होता है। 2 प्रतिशत की इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों के वेतन पर क्या असर पड़ेगा, इसका गणित इस प्रकार है...
■ **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी:** यदि मूल वेतन लगभग 30,000 रुपए है, तो हर महीने करीब 600 रुपए की बढ़ोतरी होगी।
■ **तृतीय श्रेणी कर्मचारी:** यदि मूल वेतन 40,000 से 50,000 रुपये के बीच है, तो मासिक वेतन में 800 से 1,000 रुपए तक का फायदा होगा।

■ **अधिकारी वर्ग:** मूल वेतन 70,000 से 1,00,000 रुपए या उससे अधिक है, तो हर महीने 1,400 से 2,000 रुपए या उससे ज्यादा का सीधा फायदा मिलेगा।
■ **सुपर क्लास-1 अफसरों** को डीए का फायदा हर महीने 3,500 से 4,000 रुपए तक होगा। इसके अलावा, चूंकि यह डीए 1 जनवरी से ड्यू है, इसलिए सरकार द्वारा जनवरी से एरियर (बकाया राशि) जोड़े जाने पर कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में एकमुश्त बड़ी राशि मिलने की भी उम्मीद है।

केंद्रीय कर्मचारियों की भी डीए पर टिकी हैं नजरें

राज्य कर्मचारियों के साथ-साथ केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को लेकर भी सरगामी तेज है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता इस साल 1 जुलाई से ड्यू है। इसमें लगभग 3% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। इसे लेकर केंद्रीय कर्मचारी परिषद (कॉन्फेडरेशन) ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर समय पर डीए घोषित करने की मांग की है। प्रदेश के कर्मचारियों की निगाहें अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े पर टिकी हैं, जब सरकार द्वारा महंगाई भत्ते के आदेश जारी होने की संभावना है।

पं. दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर भाजपा नेताओं ने किया माल्यार्पण

इंदौर | दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर शुक्रवार को भाजपा के नेताओं ने बापट चौराहा और दीनदयाल उपवन में मंत्री सिलावट, शंकर लालवानी, महेंद्र हाडिया, मधु वर्मा, कैलाश पिप्ले, हरप्रीत बक्शी ने श्रद्धांजलि दी।



भंवरकुआं स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बापट चौराहे पर भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, विधायक रमेश मेंदोला के अलावा सुदर्शन गुप्ता, राजेंद्र राठौर, निरंजन सिंह गुड्डा, कमल वाघेला, टीनू जैन, सुधीर कोल्हे, दीपति हाडा उपस्थित रहे। वहीं भंवरकुआं में मंत्री सिलावट, शंकर लालवानी, महेंद्र हाडिया, मधु वर्मा, कैलाश पिप्ले, हरप्रीत बक्शी ने श्रद्धांजलि दी।

स्वामित्व अभियान • पांच मंत्रियों की कमेटी ने कहा था- बन गई है सहमति

सर्कुलर मिला, डीड नहीं : पटवारी बोले- दो दिन और देखेंगे, फिर करेंगे रजिस्ट्री

सर्कुलर को पटवारियों के ग्रुप में स्कुलेट कर मांगी गई राय

पॉलिटिकल रिपोर्टर | भोपाल

पांच मंत्रियों की कमेटी के साथ बनी सहमति के बाद तैयार सर्कुलर शुक्रवार को अधिकृत तौर पर पटवारियों को भेज दिया गया। हालांकि इसके बाद भी स्वामित्व अभियान के तहत पट्टों को रजिस्ट्री में बदलने का काम शुरू नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि पटवारी संघ ने सर्कुलर को पटवारियों के ऑफिशियल ग्रुप पर डालकर सभी से सहमति मांगी है। इसके अलावा अब वे डीड (रजिस्ट्री का प्रोफार्मा) भी मांग रहे हैं, ताकि उसके हरेक बिंदु का भी कानूनी परीक्षण करा सके। साफ है कि पटवारियों के इस रुख के बाद अगले दो दिन और रजिस्ट्री का अभियान शुरू होना मुश्किल है। सोमवार को तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी।

इधर, राजस्व विभाग की ओर डीड तैयार कर ली गई है। इसे पंजीयन महकमे को भेजा गया है। परीक्षण के बाद डीड को जारी कर दिया जाएगा। संभावना है कि डीड की प्रति शनिवार

सर्कुलर में क्या... प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी

■ **ई-साइन जरूरी:** डीड तैयार करने से पहले रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। इसमें पटवारी, पटवारी हल्का, ग्राम, भूखंड के साथ ई-साइन जरूरी होंगे। सब वीडियो में रिकॉर्ड होने के बाद इसे अपलोड किया जाएगा। फेस अटेंशन के साथ जब दस्तावेज पूर्ण होंगे, सहमति के रूप में 'हां' लिखा जाएगा, तब यह संपदा 2.0 पोर्टल पर यह चला जाएगा। दो गवाहों को भी लिया जाएगा।

■ **पट्टाधारक की पड़ताल:** भू-स्वामी या पट्टा धारक व्यक्ति की भी पूरी पड़ताल होगी। अधिकार अभिलेख व खसरे का सत्यापन होगा। आवेदन करने वाले की भी स्थानीय स्तर पर पड़तान होगी। हलफनामा देना होगा कि जिस जमीन की रजिस्ट्री की जा रही है, वह पूर्व में किसी दूसरे व्यक्ति को तो नहीं बेची गई। नाम को आधार में दर्ज की गई जानकारी से मिलाया जाएगा। यदि अंतर रहता है तो वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड देना होगा।

को पटवारियों को दी जाएगी। यहां बता दें कि गुरुवार को पांच मंत्रियों के समूह ने पटवारियों के साथ तीन घंटे तक सभी बिंदुओं पर सकारात्मक बातचीत का हवाला दिया था। इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि स्वामित्व अभियान की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन अब रविवार तक मामला और टल गया।

इधर, शासन के आधिकारिक सूत्रों का कहना

है कि पटवारियों के हित में काफी निर्णय लिया गया है। वे सीधे तौर पर अब नामित नहीं होंगे। उन्हें भविष्य के कानूनी पचड़ों से भी अलग कर दिया गया है। इसके बाद भी अभियान की शुरुआत नहीं होना अनुचित रहेगा। उल्लेखनीय है कि 17 सितंबर से अभियान की मप्र में शुरुआत होनी थी। इसके तहत 50 लाख पट्टों की रजिस्ट्री होना है।

सीधी में धान मिलर ने किया बड़ा फर्जीवाड़ा : ₹14 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी दी, प्रबंधक सस्पेंड

भोपाल | मप्र नागरिक आपूर्ति निगम (नान) में 14 करोड़ रुपए के भारी-भरकम वित्तीय घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। सीधी जिले में मेसर्स बजरंग इंडस्ट्रीज द्वारा फर्जी बैंक गारंटी (एफडीआर) के दम

पर करोड़ों का धान उठाने और उसके एवज में चावल जमाना करने के खेल का भंडाफेड़ हुआ है। इस पूरे मामले में आपराधिक लापरवाही और मिलीभगत सामने आने पर प्रबंध संचालक अनुराग वर्मा ने 22

सितम्बर को प्रभारी जिला प्रबंधक व वित्त प्रबंधक मांगीलाल बंद्यो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय रीवा तय किया गया है।

भाजपा के सेवा संकल्प अभियान में कई कार्यक्रम



इंदौर | भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत शहर की विभिन्न कॉलोनिमें में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सिक्कर सिग्न फेस वन में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस समारोह में किसान मोर्चा के प्रदेश सचिव रवि राविलिया, सह प्रभारी प्रियंका चौहान, पुरुषोत्तम जायसवाल, प्रकाश परमार, देवेन्द्रअति तोमर और हरीश पाटीदार मुख्य अतिथि रहे।

पंचमूर्तिनगर में विद्या भारती का कार्यक्रम



इंदौर | राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बने विजय रिकॉर्ड में सहभागिता करते हुए सरस्वती शिशु मंदिर पंचमूर्ति नगर में शुक्रवार को सामूहिक गायन हुआ। कीर्तिका धामाधिकर शास्त्री ने बताया समाजसेवी गोपाल खत्री के आतिथ्य में सैकड़ों लोगों ने एक साथ राष्ट्रगीत गाया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। आयोजन में चंचल गर्ग, रूपसिंह नागर, ज्योति पंडित, संतोष अजमेरिया, संगीता राठौर, पंकी वर्मा, माया फणसे आदि उपस्थित रहे।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, पीथमपुर जिला धार (म.प्र.)					
Email-emopithampur@mpurban.gov.in					
क्रमांक/6638/न.पा./26		पीथमपुर, दिनांक :- 21/09/2026			
- ई-निविदा आमंत्रण सूचना - :-					
नगर पालिका परिषद पीथमपुर जिला धार द्वारा निम्नलिखित कार्य की निविदा विज्ञापित सूचना ई-टेंडरिंग पद्धति से ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (www.mptenders.gov.in) पर आमंत्रित है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-					
क्र.	ऑनलाईन टेंडर नं.	सामग्री का नाम	कार्य की सम्भावधि एवं लागत	निविदा प्रत्र का मूल्य एवं EMD राशि	निविदा की अंतिम तिथि
1	2026_UAD_537521	जे.सी.डी. 3DX मशीन प्रदाय कार्य (निविदा में उल्लेखित स्पेसीफिकेशन 01 माह अनुसार)	01 माह 100.00 लाख	10000/- 75000/-	21.10.2026
2	2026_UAD_537820	Selection of an Agency to Create Awareness through various Information Education & Communication activities on all the parameters of Municipal Solid Waste Management in all 31 Wards of Pithampur Municipal Council (M.P.) to make city Garbage Free and to provide support in the compliances of various Cleaness, Thematic Drives, ODF ++, GFC Star Rating, SMCSC, SS 2026-27 etc. Under Swachh Bharat Mission (SBM) 2nd call	24 माह 228.48 लाख	15000/- 114240/-	21.10.2026
मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद पीथमपुर जिला धार			(श्रीमती सेवन्ती सुरेश पटेल) अध्यक्ष नगर पालिका पीथमपुर जिला धार		

सूचना

Bank of India

रिस्क की जगमगी Relationship beyond banking

आंचलिक कार्यालय : स्टार हाउस, प्लॉट 9-आरसी, स्क्रीन नं. 134, एम.आर.-10, स्टार चौराहे के पास, इन्दौर - 452010, फोन 2445122-117-147

Ref. No. IND/ARB/2026-27/99

दिनांक : 20.08.2026

प्रति,

श्री विनोद जाट पिता श्री बलराम जाट,

ग्राम मटमोर, पोस्ट मटमोर, तहसील बागली, जिला-देवास, पिन-455227 - (उधारकर्ता)

विषय : डिमांड नोटिस

आपके अनुरोध पर, बैंक ने आपको कुल **₹. 1,46,95,000 (शब्दों में: एक करोड़ छियालीस लाख पचानवे हजार रुपये)** की विभिन्न क्रेडिट सुविधाएं दी हैं। हम नीचे बैंक द्वारा दी गई विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं और इस नोटिस की दिनांक तक उन पर बकाया राशि का विवरण दे रहे हैं:

सुविधा का प्रकार	मंजूर सीमा	नोटिस की दिनांक तक बकाया राशि
टर्म लोन I	48,00,000/-	8,67,003/-
टर्म लोन II	47,95,000/-	40,99,756/-
टर्म लोन III	51,00,000/-	38,65,296/-
कुल	1,46,95,000/-	88,32,055/-

2. ऊपर बताई गई क्रेडिट सुविधाएं आपको बैंक द्वारा उन शर्तों और नियमों के आधार पर दी गई हैं जो 28.03.2023, 02.09.2023 और 06.12.2023 को आपके द्वारा बैंक के पक्ष में निष्पादित लोन-सह-हाइपोथेकेशन एग्रीमेंट सीएफए-1 (दस्तावेज का नाम) में बताई गई हैं।

3. बैंक द्वारा ऊपर बताई गई क्रेडिट सुविधाएं देने के बजाय भी, आपने बैंक के पक्ष में निम्नलिखित संपत्तियों/प्रतिभूतियों को हाइपोथेकेट किया है, जिससे बैंक के पक्ष में बकाया पूरी राशि (ब्याज, लागत, शुल्क, खर्च आदि सहित) को सुरक्षित करने वाला हाइपोथेकेशन चार्ज बनता है:

(a) TATA Signa 3530 TK का हाइपोथेकेशन, चैचिस नं. MAT569002P3G20446, इंजन नं. B67B623000D3132G64307936, रजिस्ट्रेशन नं. RJ09-GE5198

(b) TATA Signa 3530 TK का हाइपोथेकेशन, चैचिस नं. MAT569006P3N33339, इंजन नं. B67B623000D3132L64339295, रजिस्ट्रेशन नं. RJ09-GE5298

4. चूंकि आपने उक्त क्रेडिट सुविधाओं के तहत बैंक को देय राशि का भुगतान करने में चूक की है, इसलिए हमने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार 27.01.2026 से आपके खाते को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया है।

5. ऊपर बताए गए कारणों से, हम आपको नोटिस देते हैं और आपसे कहते हैं कि आप बैंक को **₹. 88,32,055/- + ब्याज और अव तक के अन्य शुल्क** (नोटिस की दिनांक तक अनुबंध के अनुसार देय राशि) का भुगतान करके अपनी पूरी देनदारियों को चुकाएं, साथ ही **टर्म लोन I और II के लिए @ 11% प्रति वर्ष और टर्म लोन III के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज भी दें**। इस पर हर महीने कंपाउंड होने वाला ब्याज और बैंक के सभी खर्च और चार्ज भी लगेंगे। आपको यह पेंमेंट इस नोटिस की दिनांक से 15 दिनों के अंदर करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो हमें आपके साथ किए गए लोन-कम-हाइपोथेकेशन एग्रीमेंट जो दिनांक 28.03.2023, 02.09.2023 और 06.12.2023 को हुए थे के तहत अपने सभी अधिकार/शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें ऊपर बताई गई हाइपोथेकेटेड एसेट्स का कब्जा लेना और उन्हें बेचना शामिल है।

6. ऊपर बताई गई शक्तियों का इस्तेमाल करके जो रकम मिलेगी, उसका इस्तेमाल सबसे पहले हमारे सभी खर्चों और चार्जों को चुकाने में किया जाएगा। इसके बाद, ऊपर बताए गए बैंक के बकाया को चुकाने में इस्तेमाल होगा, जिसमें इन नोटिस की दिनांक से लेकर असल में रकम मिलने की दिनांक तक का कॉन्सुट के अनुसार ब्याज और बैंक की दफ्तरी बकाया शामिल है जिसमें बैंक के प्रति आपकी कोई भी दूसरी देनदारी, वाहे आया उधार लेने वाले हों या जमानतदार, शामिल है पूरी तरह वसूल होने के बाद अगर कोई रकम बचती है, तो वह आपको दे दी जाएगी।

7. अगर सिक्योरिटी एसेट्स (सुरक्षित संपत्ति) के खिलाफ इन शक्तियों का इस्तेमाल करके मिली रकम से बकाया पूरी तरह वसूल नहीं होता है, तो हम आपके और आपकी दूसरी एसेट्स के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। इसमें बकाया रकम और उससे जुड़े सभी खर्चों की वसूली के लिए इंटेल रिस्करी ट्रेड्यूलर/कोर्ट में कानूनी/रिस्करी की कार्रवाई करना भी शामिल है।

8. कृपया ध्यान दें कि यह नोटिस बैंक के उन दूसरे अधिकारों पर असर डाले बिना दिया जा रहा है जिनके तहत वह इस मामले में आपे बड़ सकता है और हमारे पास हाइपोथेकेटेड (गिरवी रखी गई) सिक्योरिटीज को लागू करवा सकता है।

स्थान : इन्दौर,

दिनांक : 25.09.2026

प्राधिकृत अधिकारी,
बैंक ऑफ इंडिया

pnbb

पंजाब नैशनल बैंक

punjab national bank

...the name you can BANK upon!

सर्कल ऑफिस इंदौर : 20 स्नेह नगर, सपना संगीता रोड, इन्दौर (म.प्र.), मो. 9702220362, 9504655522 एवं एवं ई-मेल : cs6885@pnbb.co.in

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) एवं 9 (1) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी सूचना ।

आम लोगों को सामान्यतः और ऋण लेने वाले ऋणीयों और जमानतदारों/बंधककर्ता को विशेष रूप से यह सूचित किया जाता है कि सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित की गई निम्न वर्णित अचल संपत्तियों, जिनका रचनात्मक/भौतिक/प्रतिकात्मक कब्जा निम्न विवरण के अनुसार बैंक/सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, का विक्रय ऋणीयों और जमानतदारों/बंधककर्ता से बैंक/सुरक्षित लेनदार द्वारा निम्न बकाया राशि की वसूली के लिये जहां है, जैसा है, जो भी है, जो कुछ भी है के आधार पर नीचे तालिका में दी गई उल्लेखित दिनांक को किया जायेगा । प्रत्येक संपत्ति का आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि, वृद्धि राशि तथा अन्य विवरण निम्न तालिका में दिया गया है ।

लॉट नं.	शाखा का नाम	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (संपत्ति(यों) के गिरवीकर्ता)	A) सार्वभौमिक अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत नया नोटिस की तिथि B) 13(2) नोटिस बकाया राशि दिनांक तक C) सार्वभौमिक अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कच्चे की धारा D) कच्चे की प्रकृति प्रतीकालक/भौतिक/रचनात्मक	A) आरक्षित मूल्य B) ईएमपी C) बोली बढ़ाने की राशि	ई-नीलामी की दिनांक/समय	संपत्ति लोकेशन QR कोड
1	शाखा : 462200-विजय नगर, इंदौर श्रीमती पूजा सोनी खाता क्रं. 462200NC00003248 4622009900001580	फ्लैट नं. S/B -206, दूसरी मंजिल, ज्ञानशीला होस्प (सिलक स्पेस) ब्लॉक-0, आवासीय योजना - सुपर सिटी, ग्राम- दाबली, तहसील- सांवेर, जिला इंदौर 452001, स्थित संपत्ति का साप्ताहिक बंधक (निर्मित क्षेत्रफल 47.68 वर्ग मीटर), चर्चुसीमा - पूर्व- अन्य भूमि, पश्चिम- सामान्य मार्ग, उत्तर- अन्य भूमि, दक्षिण- फ्लैट संख्या S/B-205 संपत्ति मालिक: श्रीमती पूजा सोनी संपत्ति आईडी: PUNB04N59849149	A) 29.11.2024 B) 5,90,523.60 + ब्याज + अन्य खर्च C) 18.03.2025 D) सांकेतिक आधिपत्य	6,91,200.00 69,120.00 10,000.00	27/10/2026 प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक (10 मिनट के अतिरिक्त विस्तार के साथ)	
2	शाखा : 985500- खण्डवा सीविल लाईन शेख रफीक लाल पिता शेख लाल खाता नं. 985500NC00000800	अचल संपत्ति पुराने प्लॉट नंबर 2/1, नए प्लॉट नंबर 10,29,30, पुराने वार्ड महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड नं. 35, नया वार्ड नंबर 39, नजूल ब्लॉक नंबर 51, इमामबाड़ा गली से अंदर के नाम से ज्ञात, तहसील एवं जिला खंडवा 450001, क्षेत्रफल-1100 वर्गफीट, चर्चुसीमा: पूर्व- बची हुई जमीन श्रीमती खेरुनिशा को बेची गई, पश्चिम- सुलेमान खलीफा का मकान, उत्तर-रोड, दक्षिण- मुंशी पटेल का बाड़ा, संपत्ति मालिक : शेख रफीक लाल पिता शेख लाल संपत्ति आईडी: PUNB6885511	A) 27/10/2025 B) 12,64,846.27/- + ब्याज + अन्य खर्च C) 17/01/2026 D) सांकेतिक आधिपत्य	12,02,000.00 1,20,200.00 10,000.00	27/10/2026 प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक (10 मिनट के अतिरिक्त विस्तार के साथ)	
3	शाखा : बड़वाह (जिला खरागोन) श्री कपिल सोनी पिता प्रेमसुख सोनी खाता क्रं. 690500NC00001835	आवासीय मकान/प्लाट जो कस्बा बड़वाह, प.ह.नं. 48, मॉडल टॉउन कोलोनी, परिवर्तित भूमि (सर्वे नं. 324/12 एवं सर्वे नं. 364/3) प्लाट नं. 37, तहसील बड़वाह जिला खरागोन म.प्र. स्थित है । चर्चुसीमा: पूर्व- प्लाट नं. 44, पश्चिम: कॉलोनी कॉमन रोड, उत्तर- प्लाट नं. 38, दक्षिण: कॉलोनी मेन रोड, संपत्ति मालिक : श्री कपिल सोनी पिता प्रेमसुख सोनी संपत्ति आईडी: PUNB2XP59592633	A) 29.05.2026 B) 14,06,241.00/- + ब्याज + अन्य खर्च C) 04.08.2026 D) सांकेतिक आधिपत्य	11,90,000.00 1,19,000.00 10,000.00	27/10/2026 प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक (10 मिनट के अतिरिक्त विस्तार के साथ)	

नियम एवं शर्तें: बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों तथा निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी :

1. संपत्तियां "जहां हैं, जैसी हैं" और "जो भी है, जैसी है" के आधार पर बेची जा रही हैं ।

2. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. बिक्री वेबसाइट <https://baanknet.com> पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी ।

4. बिक्री की विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया <https://baanknet.com> एवं www.pnbindia.in देखें ।

5. सुरक्षित ऋणदाताओं को ज्ञात भारों का विवरण पंजाब नैशनल बैंक.

6. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य न हो, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

7. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 26.10.2026 रात्रि 11.59 बजे तक

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) एवं 9 (1) के अधीन सांविधिक बिक्री सूचना

दिनांक : 26.09.2026

स्थान : इन्दौर

प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नैशनल बैंक (सुरक्षित लेनदार)